भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची में हिंदी अनुवादक के पद के लिए प्रारुप भर्ती नियमों पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं.एबी.14017/61/2008-एस्ट (आरआर) के अनुपालन में, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची में हिंदी अनुवादक के पद के लिए प्रारुप भर्ती नियम संलग्न हैं।

प्रारुप भर्ती नियमों पर आपत्ति/टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति (स्टेक होल्डर्स) अपनी आपत्ति/टिप्पणी या सुझाव इन प्रारुप भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर लिखित रूप में श्री अजय कुमार केपी, अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं. 521-ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को या ई-मेल पते: ajaya59@gmail.com पर भेज सकते हैं।

(अजय कुमार केपी)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन: 011-23061342

नई दिल्ली
दिनांक:

अनुलग्नक

क्र.सं.	अनुसूची के अनुसार	वर्तमान भर्ती नियमों में प्रावधान	प्रस्तावित भर्ती नियमों में संशोधित प्रावधान	परिवर्तन के कारण/ टिप्पणी
1.	पद का नाम	हिंदी अनुवादक	हिंदी अनुवादक	
2.	पदों की सं.	1	1 (कार्य-भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	
3.	वर्गीकरण	सामान्य सिविल सेवा ग्रुप 'ग' और अराजपत्रित, अननुसचिवीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	कार्मिक, योग शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के दिनांक 9.04.2009 के आदेश के अनुसार 4200 रु. ग्रेड पे वाले पदों को ग्रुप 'ख' के रुप में वर्गीकृत किया गया है।
4.	वेतनमान (वेतन अब वेतन मैट्रिक्स में)	वेतनमान रु. 1400-40-1800-ईबी- 50-2300 (चौथा के.वे.आ.) एस-9, रु. 5000-150-8000 (पांचवां के.वे.आ.) पीबी-2, रु. 9300-34800 ग्रेड वेतन -4200 रु. (छठा के.वे.आ.)	वेतन मैट्रिक्स का लेवल-6 (रु. 35400)	सातवें के.वे.आ. के बाद बदलाव के अनुसार।
5.	क्या चयन पद अथवा अचयन पद	लागू नहीं	लागू नहीं	
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	28 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिए केन्द्र	30 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिए केन्द्र	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन

		सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार 35 वर्षों तक शिथिलनीय) टिप्पणी: प्रत्यके मामले में आयु-सीमा के निर्धारण की तारीख वह होगी जो भारत के उम्मीदवारों से आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तारीख है (न कि अंडमान एवं नीकोबार द्वीप समूह तथा लक्ष्यद्वीप समूह के उम्मीदवारों के लिए आवेदनपत्र स्वीकार करने की अंतिम तारीख) टिप्पणी 2: जिन पदों के लिए नियुक्ति रोजगार कार्यालय के माध्यम से होनी है उन पदों के लिए आयु-सीमा निर्धारण की तारीख प्रत्येक मामले में वह तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय में नाम प्रस्तुत करने को कहा है।	सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार 5 वर्षों तक शिथिलनीय) टिप्पणी: सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा के निर्धारण की तारीख वह होगी जो भारत के उम्मीदवारों से आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तारीख है (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू -कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उप-प्रभाग तथा अंडमान एवं नीकोबार द्वीप समूह तथा लक्ष्यद्वीप समूह के उम्मीदवारों के लिए आवेदनपत्र स्वीकार करने की अंतिम तारीख)	मंत्रालय, भारत सरकार (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के दिनांक 31.03.2015 के का.ज्ञा.सं. एबी.14017/13/2013-स्था. (आरआर) के अनुसार
7.	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य अर्हता	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी/ अंग्रेजी में स्नातकोत्तर डिग्री तथा डिग्री स्तर पर हिंदी/ अंग्रेजी विषय अनिवार्य अथवा परीक्षा के माध्यम के रुप में रही हों। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी/ अंग्रेजी के अलावा किसी	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी/ अंग्रेजी में स्नातकोत्तर डिग्री तथा डिग्री स्तर पर हिंदी/ अंग्रेजी विषय अनिवार्य अथवा परीक्षा के माध्यम के रुप में रही हों। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी/ अंग्रेजी के अलावा किसी	

		भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री तथा डिग्री स्तर पर हिंदी/ अंग्रेजी विषय में से एक विषय अनिवार्य तथा दूसरा विषय परीक्षा के माध्यम के रुप में रही हों। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी/ अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में हिंदी/ अंग्रेजी माध्यम से स्नातकोत्तर डिग्री तथा डिग्री स्तर पर हिंदी/ अंग्रेजी विषय में से एक विषय अनिवार्य तथा दूसरा विषय परीक्षा के माध्यम के रुप में रही हों। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री जिसमें हिंदी और अंग्रेजी विषयों में से एक अनिवार्य/ वैकल्पिक विषय के रुप में अथवा दोनों में से एक परीक्षा के माध्यम के रुप में और दूसरा अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रुप में रहे हों तथा हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद का मान्यता प्राप्त डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र और केंद्र/ राज्य सरकार के कार्यालयों/ भारत सरकार के उपक्रमों में हिंदी से	भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री तथा डिग्री स्तर पर हिंदी/ अंग्रेजी विषय में से एक विषय अनिवार्य तथा दूसरा विषय परीक्षा के माध्यम के रुप में रही हों। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी/ अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में हिंदी/ अंग्रेजी माध्यम से स्नातकोत्तर डिग्री तथा डिग्री स्तर पर हिंदी/ अंग्रेजी विषय में से एक विषय अनिवार्य तथा दूसरा विषय परीक्षा के माध्यम के रुप में रही हों। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री जिसमें हिंदी और अंग्रेजी विषयों में से एक अनिवार्य/ वैकल्पिक विषय के रुप में अथवा दोनों में से एक परीक्षा के माध्यम के रुप में और दूसरा अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रुप में रहे हों तथा हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद का मान्यता प्राप्त डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र और केंद्र/ राज्य सरकार के कार्यालयों/ भारत सरकार के उपक्रमों में हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव। टिप्पणी 1: अर्हताएं	

		अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव।	अन्यथा योग्य अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम प्राधिकारी के विवेक से शिथिलनीय हैं। टिप्पणी 2: अर्हताओं में कर्मचारी चयन आयोग /सक्षम प्राधिकारी के विवेक से उस स्थिति में में शिथिलनीय होंगे जब कर्मचारी चयन आयोग /सक्षम प्राधिकारी का चयन के किसी चरण में यह मानना हो कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन श्रेणियों से पर्याप्त मात्रा में अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभयर्थियों के उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	
8	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी।	लागू नहीं	लागू नहीं	
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	2 वर्ष	2 वर्ष	
10.	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धत्तियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रतिनियुक्त पर प्रोन्नति/ स्थानांतरण, जिसके न होने पर सीधी भर्ती	सधी भर्ती टिप्पणी: यदि रिक्ति पद धारी के प्रतिनियुक्ति पर होने या लंबी बीमारी या अध्यन अवकाश या अन्य किसी परिस्थितिवश एक वर्ष या इसे अधिक समय के लिए रिक्त रहती है तो उसे केंद्र	सामान वेतन मान और ग्रेड वेतन में कन्ष्ठि अनुवादक पद हेतु मॉडल भर्ती नियम के अनुसार

			सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जाएगा, जो- (क) मूल संवर्ग/ विभाग में नियमित आधार पर समक्ष पद धारण किए हों और (ख) क्लॉम 7 के तहत सीधी भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता और अनुभव रखता हो।	
11.	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/ स्थानांतरण: केंद्र सरकार के अधिकारियों में से, जो- (i) समकक्ष पदधारी हो, अथवा (ii) रु. 1200-2040 के वेतन मान अथवा समकक्ष पद पर इस ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो, अथवा (iii) रु. 950-1500 के वेतन मान अथवा समकक्ष पद पर इस ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो, और	लागू नहीं	

		(iv) क्लॉम 8 के तहत सीधी भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षिक एवं अन्य अर्हता प्राप्त हो।		
12.	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	ग्रुप 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना: - संस्थान के निदेशक- अध्यक्ष - विशेषज्ञ ग्रेड 1 अधिकारी- सदस्य - प्रशासनिक अधिकारी- सदस्य	ग्रुप 'ख' विभागीय नियमितीकरण समिति की संरचना : - निदेशक (सीआईपी) - अध्यक्ष - विशेषज्ञ ग्रेड 1 अधिकारी- सदस्य - प्रशासनिक अधिकारी- सदस्य	
13.	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	लागू नहीं	लागू नहीं	